



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11**लखनऊ : दिनांक 03-10-2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 13 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोलिखित तालिका के कालम-2 में अंकित मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संदर्भित पत्रों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 13 नये कार्यो की 05 वर्षीय अनुरक्षण सहित विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कुल लागत रु० 18780.57 लाख (रु० एक अरब सत्तासी करोड़ अस्सी लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 9390.29 लाख (रु० तिरानवे करोड़ नब्बे लाख उन्तीस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लो०नि०वि० का पत्रांक व दिनांक	सी०एम० आई०एस० नं०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
						अनु०-58	अनु०-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1839नि०/102-01नि०/26-27, दिनांक 22-08-2026	20260000 3104406	आगरा प्रा०ख०	एन०एच०-3 से गढ़ी गुलाबी, कुराचित्तपुर, इनायतपुर, लहरा, शमशाबाद मार्ग (लम्बाई 5.230 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	746.81	294.20	79.20	373.40
2	1852नि०/102-01नि०/26-27, दिनांक 22-08-2026	20260000 3104407	आगरा नि०ख-2	सी०ए०टी०के० मार्ग से नगला दूल्हेखां मार्ग (अ०जि०मा०) को 3.00 मी० से 5.50 मी० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1728.66	681.00	183.33	864.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	पत्र संख्या- 1975नि0/105- 01नि0/26-27, दिनांक 26-08-2026	20260000 3104408	मैनपुरी प्रा0ख0	कुरावली अलपुरा सलेमपुर लहरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	2482.10	977.82	263.23	1241.05
4	1780नि0/104- 01नि0/26-27, दिनांक 20-08-2026	20260000 3104409	मथुरा नि0ख0-1	जनपद मथुरा में बल्देव मई मार्ग (अ0जि0मा0) को 3.75 मी0 से 5.50 मी0 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1641.72	646.76	174.10	820.86
5	1691नि0/122- 01नि0/फतेहगढ़/26- 27, दिनांक 14-08- 2026	20260000 3104410	फर्रुखाबाद प्रा0ख0	फर्रुखाबाद ढिलावल मार्ग(अ0जि0मा0) के (लम्बाई 2.000 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	694.70	273.68	73.67	347.35
6	1621नि0/122- 01नि0/26-27, दिनांक 12-08-2026	20260000 3104411	फर्रुखाबाद नि0ख0	उम्मेरपुर ठण्डी कुइया सिकन्दरपुर पसियापुर मार्ग(अ0जि0मा0) के किमी0 1 से 11(300) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य(चै0 0.000 से चै0 10.300)	2263.40	891.67	240.03	1131.70
7	1690नि0/120- 02नि0/कानपुर देहात/26-27, दिनांक 14-08-2026	20260000 3104412	कानपुर देहात प्रा0ख0	जनपद कानपुर देहात में पश्चिमी इलाहाबाद शाखा नहर सेवा मार्ग(अ0जि0मा0) के किमी0 61 से 67(500)(चैनेज 60.00 से चैनेज 66.500 तक)(लम्बाई 6.500 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1591.54	626.99	168.78	795.77
8	1620नि0/120- 02नि0/26-27, दिनांक 12-08-2026	20260000 3104413	कानपुर देहात प्रा0ख0	जनपद कानपुर देहात में मंगलपुर अस्वी मार्ग के किमी0-2(100) से 9(200) तक (चैनेज 1.100 से चैनेज 8.200 तक) (लम्बाई 7.100 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1497.84	590.07	158.85	748.92
9	1876नि0/120- 01नि0/भाग-24/26- 27, दिनांक 24-08- 2026	20260000 3104414	कानपुर नगर प्रा0ख0	गौरी भगवन्तपुर कासामऊ मुस्ता मार्ग (लम्बाई 5.000 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1086.45	428.01	115.22	543.23

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10	1686नि0/120-01नि0/कानपुर/26-27,दिनांक 14-08-2026	202600003104415	कानपुर नगर प्रा0ख0	जनपद कानपुर नगर में घाटमपुर गजनेर मार्ग से राहा बबुराहा मार्ग(अ0जि0मा0) के किमी0 9 से 16 में (लम्बाई 8.000 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1352.39	532.77	143.43	676.20
11	1786नि0/120-01नि0भाग-17/26-27,दिनांक-21-08-2026	202600003104416	कानपुर नगर प्रा0ख0	जी0टी0 मार्ग से कमलापुर नर्वल पिपौसी खरौटी मार्ग(अ0जि0मा0)(लम्बाई 6.750 कि0मी0) के (चैनेज 8.000-14.750) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1712.40	674.60	181.60	856.20
12	1849नि0/110-01नि0/26-27, दिनांक 22-08-2026	202600003104417	बिजनौर प्रा0ख0	जनपद बिजनौर में शुगर मिल से अजीतपुर दासी नौन्दइ मनकुआं होते हुए दौलतपुर सुक्खा मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1419.24	559.11	150.51	709.62
13	1684नि0/112-01नि0/रामपुर/भाग-13/26-27, दिनांक 14-08-2026	202600003104418	रामपुर नि0ख0	रामपुर केमरी मार्ग किमी0-2 से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तक मार्ग(अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 2.000 में तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	563.32	221.92	59.74	281.66
				कुल योग	18780.57	7398.60	1991.69	9390.29

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा)) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606 /दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054 सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।
- (5) परियोजनान्तर्गत सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से पूर्व में कराये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लोक निर्माण अनुभाग-5, 30प्र0शासन के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी/08, दिनांक 12-09-2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- (6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानकों के अनुरूप कराया जाय।
- (7) परियोजना निर्माण कार्यो हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी, उसका पूर्णतः सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।
- (9) परियोजना से संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करती है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही स्वीकृति निर्गत की जायें।
- (10) परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना व भविष्य में परियोजनाओं को पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि नियमानुसार भुगतान किया जायेगी।
- (12) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (13) परियोजना के संबंध में मुख्य अभियंता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) यूटिलिटी शिफ्टिंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यो में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का verification & Revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी कार्यो हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
- (15) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग निर्माण का कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(16) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत पोल से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित मार्ग परियोजनाओं में किया जाता है, उसी प्रकार मार्ग पर स्थित विद्युत पोल (Electric Pole) को मार्ग के अंतिम छोर/किनारे पर स्थापित किया जाये, जिससे भविष्य में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण आदि की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि भविष्य में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण आदि की प्रक्रिया में विद्युत पोलों (Electric Poles) की शिफ्टिंग की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उनकी लागत की वसूली/रिकवरी संबंधित अधिशासी अभियंता के वेतन/पेंशन से अवश्य की जायेगी।

(17) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।।

(18) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(19) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं आदि को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः परियोजना पर पृथक-पृथक रूप से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्यों आदि का प्राविधान करना, मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई/क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट इत्यादि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(23) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति/भूमि अर्जन की कार्यवाही सी0ए0एल0ए0 (Competent Authority for Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(24) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा भविष्य में परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0 व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा ऐसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं आदि के वेतन से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।

(26) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्रभावी समस्त संगत विभागीय नियमों/मानकों/शासनादेशों इत्यादि का पूर्णतः अनुपालन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रस्तुत परियोजनाओं से संबंधित संगत सूचनाएं विश्वकर्मा व सृष्टि पोर्टल पर अपडेट किये जाने अथवा पूर्व में ही स्वीकृत है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।

(28) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों/संस्थाओं से प्राप्त कर लिया जाये।

(29) सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(30) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(31) प्रायोजनान्तर्गत समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इन परियोजनाओं के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का होगा।

(32) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजनाओं के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा एवं माह कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(33) उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा। यदि किन्हीं शासनादेशों एवं नियमों से विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(34) प्रश्नगत परियोजनाओं को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रुपये 73,98,60,000(रुपये तिहत्तर करोड़ अठानवे लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या0 58 लेखा शीर्षक 5054033371328 प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रुपये 19,91,69,000(रुपये उन्नीस करोड़ इक्यानवे लाख उन्हत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890500 राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-305-X-2026-27, दिनांक 18-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
- 15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।